

123

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(चकबंदी निदेशालय)  
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-11/चक0-यो0-01/2022-1103/चक0, दिनांक 07/10/2022  
बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 4(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन निर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्न राजस्व मौजों में चकबंदी संक्रियाएं की प्रक्रिया को रद्द किया जाता है।

| क्र0 | अंचल   | मौजा का नाम | थाना नं0 |
|------|--------|-------------|----------|
| 1.   | चैनपुर | हाटा        | 169      |
| 2.   | चैनपुर | सरपनी       | 168      |
| 3.   | चैनपुर | सरैया       | 170      |
| 4.   | चैनपुर | हुमायूमर्दन | 171      |
| 5.   | चैनपुर | करबंदिया    | 176      |
| 6.   | चैनपुर | अवखरा       | 178      |

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-11/चक0-यो0-01/2022-1103/चक0, दिनांक 07/10/2022  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-11/चक0-यो0-01/2022-1103/चक0, दिनांक 07/10/2022  
प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, कैमूर/अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक, चकबंदी रोहतास/चकबंदी पदाधिकारी, चैनपुर (कैमूर)/अंचलाधिकारी, चैनपुर/अवर निबंधन कार्यालय, भभुआ/चैनपुर (कैमूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।